कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

क्रमांक 2025 भण्डार //2020 ग्वालियर, दिनांक- 13 /11/2020

प्रति,

कलेक्टर

समस्त

मध्यप्रदेश

विषय: जिलों में पटवारियों द्वारा लैपटॉप ख़रीदे जाने हेतु निर्देश जारी करना |

सन्दर्भ: राजस्व विभाग का आदेश क्रमांक एफ 03-19/2017 /सात - 6 दिनांक 29-09-2020 तथा पत्र क्रमांक एफ 30-19/2017 / सात -6 दिनांक 12.11.2020

विषयान्तर्गत लेख है की प्रदेश में पटवारियों को भू-अभिलेखों, खसरा, नक्शा, बी-1, RCMS एवं अन्य योजनाएं जैसे जाति प्रमाण पत्र, बी पी एल सर्वे, शासकीय भूमि आवंटन, डायवर्जन आदि का कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस रियल टाइम में अद्यतन करने एवं नागरिकों को उनकी मांग अनुरूप अद्यतन अभिलेखों की प्रति तत्काल प्रदाय किये जाने हेतु उच्च तकनीक के लैपटॉप प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है |

इस योजना के तहत आगामी 03 वर्ष में लैपटॉप वितरण का कार्य पूर्ण किया जाना है | प्रथम वर्ष में प्रत्येक जिले में पदस्थ कुल पटवारियों की संख्या के मात्र 1/3 पदस्थ पटवारियों को ही लैपटॉप वितरण किये जाएंगे| लैपटॉप का वितरण इसी प्रकार आगामी 02 वर्षों में भी किया जाना है | वर्तमान में जिलों में कुल पदस्थ पटवारियों की संख्या की विभाग के पास उपलब्ध जानकारी एवं तीन वर्षों में कुल पटवारियों के मान से वितरण की संख्या परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई है,| परिशिष्ट-1 में उल्लेखित संख्या अनुसार लैपटॉप वितरण हेतु पटवारियों का चयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा | इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु विभाग द्वारा लैपटॉप के न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स तय किये गए है जिससे क्रय किये जाने वाले लैपटॉप से समुचित ढंग से विभागीय क्रियाकलाप संपन्न किये जा सकें | विभाग द्वारा तय किये गए न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स परिशिष्ट-2 में संलग्न हैं |

लैपटॉप क्रय पश्चात विभाग से राशी की अदायगी हेतु पटवारियों को

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिससे उनके द्वारा क्रय लैपटॉप का तकनीकी रूप से सत्यापन किया जा सके तथा उनके बैंक खाते में राशि स्थानांतरित की जा सके| इसके सम्बन्ध में विस्तृत यूजर मैन्युअल पृथक से साझा किया जायेगा| ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म का प्रारूप परिशिष्ट - 3 में संग्लन है | लैपटॉप का क्रय एवं उपयोग किये जाने सम्बन्धी अन्य निर्देश निम्नवत हैं -

1. पटवारियों द्वारा लैपटॉप का क्रय विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स (Specifications) अनुसार ही किया जाए|
2. विभाग द्वारा लैपटॉप क्रय करने के लिए अधिकतम राशि रू. 50,000 के मान से राशि प्रत्येक पटवारी को क्रय करने के बाद न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स के सत्यापन उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी |
3. लैपटॉप के बीमा पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा किया जाएगा, प्रथम वर्ष के बीमा की राशि कंडिका- २ में उल्लेखित अधिकतम राशि में सम्मिलित है | आगामी वर्षों के बीमा नवीनीकरण पटवारी द्वारा स्वयं करवाया जायेगा तथा विभाग द्वारा बीमा की राशि प्रत्येक पटवारी को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी|
4. लैपटॉप राजस्व विभाग की संपत्ति होगी अतः लैपटॉप खरीदी का बिल "आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश" के नाम पर लिया जाना अनिवार्य होगा |
5. प्रत्येक लैपटॉप की आयु 7 वर्ष निर्धारित की गयी है, अतः 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर क्रय किये गए लैपटॉप की नियमानुसार राइट ऑफ करने की कार्यवाही की जायेगी| 7 वर्ष के पूर्व पटवारी के सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, असमय मृत्यु अथवा किसी कारण से सेवा से पृथक होने की स्थिति में लैपटॉप को उनके स्वयं अथवा उनके परिवार के द्वारा विभाग को वापस कर दिया जायेगा|
6. लैपटॉप क्रय पश्चात SAARA पोर्टल पर विकसित सॉफ्टवेयर पर पटवारी द्वारा पंजीयन किया जायेगा लैपटॉप के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दोरान सॉफ्टवेयर द्वारा तकनीकी जानकारी स्वतः ही दर्ज कर ली जाएगी जिसके आधार पर ऑनलाइन स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाएगा एवं जिसमें invoice तथा अन्य आवश्यक जानकारी की एंट्री होगी| लैपटॉप के वापस करने एवं अन्य पटवारी को जारी किये जाने सम्बन्धी जानकारी भी इस स्टॉक रजिस्टर में अंकित होगी |
7. न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स का ऑनलाइन सत्यापन एवं क्रय इनवॉइस तथा बीमा पालिसी की जानकारी के प्रमाणन पश्चात पटवारियों को ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा |

उक्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पटवारियों को लैपटॉप क्रय के विरुद्ध

भुगतान करने तथा लैपटॉप के सम्बन्ध में ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारण करवाने हेतु आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
Date: 2020.11.13 16:55:35 IST

आयुक्त
कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक- /भू.प्र.-11/ 2020 ग्वालियर, दिनांक- /09/2020

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
2. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन भोपाल
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश